रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 21, 2019/आश्विन 29, 1941
No. 626] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2019/ASVINA 29, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. 800(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय में प्रधान तंत्र विश्लेषक, वरिष्ठ तंत्र विश्लेषक और तंत्र विश्लेषक सह कम्प्यूटर क्रमादेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय, प्रधान तंत्र विश्लेषक, वरिष्ठ तंत्र विश्लेषक और तंत्र विश्लेषक सह कम्प्यूटर क्रमादेशक भर्ती नियम, 2019 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन- मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अहर्ताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मैट्रिक्स में लेवल**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. प्रधान तंत्र विश्लेषक	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12, (78800-209200 रू.)	चयन पद

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति द्वारा जिसके ना होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति:** लेवल 11 के वेतन-मैट्रिक्स (67700-208700 रू.) में सीनियर तंत्र विश्लेषक के रूप में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर या सचिवालयी प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) या समकक्ष में डॉट नेट फ्रेमवर्क अथवा जावा फ्रेमवर्क	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं:** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग -सदस्य 3. पेटेंट और डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक -सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है

	या पीएचपी फ्रेमवर्क के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रतासेवा के आधे अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्द्ध-सरकारी कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों पर रहा हो; या (ii) वेतन-मैट्रिक्स (67200-208700 रुपए) में स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या एम.एससी (कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी); किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.ई. या बी.टेक. (कम्प्यूटर इंजीनियरी या		

	कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी)। (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानून निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डॉट नेट अथवा जावा या पीएचपी फ्रेमवर्क में अनुप्रयोग/माड्यूल की डिजाइनिंग, विकास और परीक्षण के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात आठ वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हो, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें। **टिप्पण 2:** केन्द्रीय सरकार के उसी या कुछ अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. वरिष्ठ तंत्र विश्लेषक	02* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क') राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-11, (67700-208700 रु.)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति	**प्रोन्नति:** स्तर 10 के वेतन-मैट्रिक्स (56100-177500 रू.) में तंत्र विश्लेषक सह कंप्यूटर क्रमादेशक के रूप में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर या सचिवालयी प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) या समतुल्य में डॉट नेट फ्रेमवर्क अथवा जावा फ्रेमवर्क या पीएचपी फ्रेमवर्क के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रतासेवा के आधे अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्ध-सरकारी कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो— (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों पर रहा हो; या (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (56100-177500 रू.) में स्तर 10 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो, अर्थात् :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं:** 1. सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - सदस्य 3. पेटेंट और डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक -सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है

	डिग्री या एम.एस.सी (कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी); किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.ई. या बी.टेक. (कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी)। (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी निकाय अथवा किसी मान्यता प्रदान संस्थान से डॉट नेट अथवा जावा या पीएचपी फ्रेमवर्क में एप्लिकेशन/माड्यूल की डिजाइनिंग, विकास और परीक्षण के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात 5 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हो, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होगें। इस प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होगा। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अनतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. तंत्र विश्लेषक सह कम्प्यूटर क्रमादेशक	05* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित समूह 'क'	स्तर-10, (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक की शिथिल की जा सकती है।	**आवश्यक अर्हता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या एम.एससी (कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान	लागू नहीं होता	1 वर्ष

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।	से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. या बी.टेक.। **अनुभवः** किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायतत निकाय अथवा कानूनी निकाय अथवा किसी मान्यता प्रदान संस्थान से डॉट नेट अथवा जावा या पीएचपी फ्रेमवर्क में एप्लिकेशन/माड्यूल की डिजाइनिंग, विकास और परीक्षण के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात तीन वर्ष का अनुभव।		

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती। **टिप्पण**: पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि से पद पर न रहने से रिक्त पद को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी: (क) नियमित आधार पर सदृश्य पदों को धारण करते हों; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं:** 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन, पेटेंट और डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग – अध्यक्ष; 2. पेटेंट और डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक –सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. पी-24023/2/2018-आईपीआर-I]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2019

G.S.R. 800(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Principal System Analyst, Senior System Analyst and System Analyst cum Computer Programmer in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Patent Office in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, namely:—

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade

Marks, Patent Office, Principal System Analyst, Senior System Analyst and System Analyst cum Computer Programmer Recruitment Rules, 2019

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection or Non–selection post**	**Age limit for Direct Recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1. Principal System Analyst.	01* (2019) *Subject to variation dependent upon the workload.	**General Central Service,** Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	level-12 (Rs. 78800-209200).	Selection post.	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of Probation if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by Deputation including Short-Term Contact.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior System Analyst in level 11 in pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and have successfully completed 2 to 4 weeks training in the field of Dot Net framework or JAVA framework or PHP framework at RGNIIPM, Nagpur or Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or equivalent. **Note:**- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central or State Governments or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertaking or Semi- Government Statutory or Autonomous organisations - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service rendered after appointment thereto on regular basis in the level 11 in pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Masters Degree in Computer Applications or M.Sc (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute; or B.E. or B.Tech. (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognised University or Institute. (ii) Eight years post qualification experience in designing, development and testing of application/modules in Dot Net or JAVA or PHP framework in a Government Office or PSU or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised institution. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly,	**Departmental Promotion Committee (for considering promotions) constituting of:-** (1) Chairman/Member Union Public Service Commission - Chairman; (2) Joint Secretary (Administration) Department for Promotion of Industry and Internal Trade –Member; (3) Controller General of Patents and Designs and Trade Marks – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (Including Short-term Contract).

the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Senior System Analyst	02* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service**, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which Deputation including Short-Term Contract.	**Promotion:** System Analyst cum Computer Programmer in level 10 in pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade and have successfully completed 2 to 4 weeks training in the field of Dot Net framework or JAVA framework or PHP framework at RGNIIPM, Nagpur or Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or equivalent. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract)**: Officers of the Central or State Governments or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertaking or Semi- Government Statutory or Autonomous organisations – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service rendered after appointment thereto on regular basis in the level 10 in pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Masters Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute; or B.E. or B.Tech. (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognized University or Institute. (ii) Five years post qualification experience in designing, development and testing of application or modules in Dot Net or JAVA/PHP framework in a Government Office or PSU or

			Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised institution. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Chairman; (2) Joint Secretary (Administration) Department for Promotion of Industry and Internal Trade –Member; (3) Controller General of Patents and Designs and Trade Marks – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (Including Short-term Contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. System Analyst cum Computer Programmer	5* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service,** Non – Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-10 (Rs. 56100-177500).	Not applicable.	35 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with Instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential **Qualification:** Master Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute; or B.E. or B.Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute. **Experience**: Three years post qualification experience in designing, development and testing of application or modules in Dot Net or JAVA or PHP framework in a Government Office or PSU or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised institution.	Not applicable	One year	**Direct recruitment.** **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Coloumn (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Joint Secretary (Administration, for O/o Controller General of Patents and Designs and Trade Marks) Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Chairman; (2) Controller General of Patents and Designs and Trade Marks -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. P-24023/2/2018-IPR-I]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. 801(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पेटेंट कार्यालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1983, जहां तक वह वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं, और पेटेंट कार्यालय (श्रेणी-III) भर्ती नियम, 1962, जहां तक वे पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी तथा पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी तथा पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती नियम, 2019 कहा जाए।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतन-मैट्रिक्स के स्तर**: पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अहर्ताएं आदि**: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अनहर्ता:—वह व्यक्ति**,

   (ग). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

   (घ). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **छूट देने की शक्ति**: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	**साधारण केन्द्रीय सरकार सेवा,** समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-7, (44900-142400 रू.)	चयन पद

सीधे भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**आयु** - लागू नहीं होता **शैक्षिक अर्हता** – लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति	**प्रोन्नति:** स्तर 6 के वेतन-मैट्रिक्स (35400-112400 रू.) में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के रूप में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** - ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के बारे में जिन्होंने अर्हता/सेवा की पात्रता पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके साथ वैसे ज्येष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जा सकता है जिन्होंने सेवा की पात्रता तथा अर्हता पूरा करते हों तथा दो वर्ष की सेवा, जो भी कम हो, पूरी की हो तथा जिन्होंने सफलता पूर्वक परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो, उन	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं:** 1. महानियंत्रक, पेटेंट्स, डिजाइन्स और व्यापार चिह्न - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक/पेटेंट्स एवं डिजाइन के उप नियंत्रक - सदस्य 3. उप पंजीयक/ सहायक पंजीयक/ व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन के वरिष्ठ परीक्षक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

	कनिष्ठ कर्मचारियों जिन्होंने अर्हता/सेवा की पात्रता पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या (ii) वेतन-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर 6 या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।		

	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होगें और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग या संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. पुस्तकालय और सूचना सहायक	05* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6, (35400-112400 रू.)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश या आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता **शैक्षिक अर्हता** : लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण हुए रिक्त पद को, केन्द्रीय सरकार के सदृश्य पदधारी द्वारा भरा जा सकता है, जो (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखता हो।	लागू नहीं होता।	**विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं:** 1. वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक/ पेटेंट्स एवं डिजाइन के उप नियंत्रक – अध्यक्ष 2. सहायक नियंत्रक/पेटेंट्स और डिजाइन्स के परीक्षक – सदस्य 3. उप रजिस्ट्रार/व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन के सहायक रजिस्ट्रार – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. पी-24023/2/2018-आईपीआर-I]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2019

G.S.R. 801(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Patent Office (Class-III) Recruitment Rules, 1962 in so far as they relate to the post of Librarian and the Patent Office (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1983 in so far as they relate to the post of Senior Librarian except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Assistant Library and Information officer and Library and Information Assistant in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Patent Office in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, namely:-

1. **Short title and commencement.–**

(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Patent Office, the Assistant Library and Information Officer and Library and Information Assistant Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection or Non – selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Library and Information Officer	02* (2019) *Subject to variation dependent on workload	**General Central Service,** Group ‘B’, Gazetted Non – Ministerial	Level 7 (Rs. 44900-142400)	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	**AGE**: Not applicable. **Educational Qualification**: Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which Deputation including Short-Term Contact.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
PROMOTION: Library and Information Assistant in level 6 in pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and successfully completed training of two weeks in the field of Library and Library Science. **Note:** where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks - Chairman; (2) Senior Joint Controller/Joint Controller/Deputy Controller of Patents and Designs - Member; (3) Deputy Registrar/ Assistant Registrar/ Senior Examiner of Trade Marks and Geographical Indications - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

completed their probation earlier for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. DEPUTATION (Including Short Term Contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertaking or Recognized University or Institute/Research Institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) Two year professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory organisation or PSU or University or Recognised Research or Educational institution. **Desirable:** (i) Masters Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute. (ii) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute . **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Library and Information Assistant	05(2019) *Subject to variation dependent on workload	**General Central Service** Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable.	30 Years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) **Note:-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University/ Institute; (ii) Two years professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory organisation or PSU or University or Recognised Research or Educational institution. **Describable:** Diploma in computer Application from a recognised University or Institute.	Age: Not applicable **Educational Qualification**: Not applicable	Two years.	Direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from the officials of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Senior Joint Controller/ Joint Controller/ Deputy Controller of Patents and Designs – Chairman; (2) Assistant Controller/ Examiner of Patents and Designs – Member; (3) Deputy Registrar/ Assistant Registrar of Trade Marks and Geographical Indications – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. P-24023/2/2018-IPR-I]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.22 20:21:33 +05'30'